न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 509/2026

मुन्ना कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

बिहार थाना कांड सं0 130/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 3(5) B.N.S & 27 Arms Act

02.04.2026

आवेदक **मुन्ना कुमार एवं डोमन यादव** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार एवं सूचक के निजी अधिवक्ता श्री संजीव कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा इन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । आवेदकगण द्वारा पूर्व में इस न्यायालय या किसी वरीय न्यायालय में कोई भी अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। उक्त धाराओं का अभियोग आवेदकगण के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। बी0एन0एस0 की धारा 109(1) एवं 27 आर्म्स एक्ट को छोड़कर अन्य धाराएं जमानतीय प्रकृति के है। आवेदकगण के पास से किसी भी आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। आवेदकगण के पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः आवेदकगण को जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक तथा सूचक के निजी अधिवक्ता आवेदकगण के जमानत आवेदन का विरोध करते है ।

उभयपक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 04.03.2026 को समय करीब 07:15 बजे अपने घर के दरवाजा पर बैठा हुआ था। उसी समय डोमन यादव शराब के नशे में गाली–गलौज करने लगा। मना करने पर उनके उपर जान मारने की नियत से फायरिंग किया। किसी तरह सूचक जान बचाकर अपने घर की ओर भागने लगे तो देखा कि दूसरे ओर से मुन्ना कुमार भ जान मारने की नियत से उनके उपर फायरिंग किया। दोनों तरफ से फायरिंग देखकर गिरते हुए किसी तरह अपने घर में प्रवेश कर घर का दरवाजा बंद कर लिया। घर का दरवाजा बंद देखकर गाली–गलौज करते हुए धमकी दिया कि तुमको एवं तुमको परिवार को जान से मार देगे। घर के बाहर उनकी पत्नी स्वीटी देवी के साथ गाली–गलौज एवं मारपीट किया। जिससे अंदरूनी चोट भी आई है। जब वह अपने घर के अंदर से थाना में फोन किया तो थाना का पुलिस पहुंचकर उनके एवं उनकी पत्नी के समक्ष फायरिंग किया गया। गोली का खोखा पुलिस के समक्ष विडियोग्राफी करते हुए पांच गोली बरामद किया गया।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं कांड दैनिकी के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि घटना में किसी भी पक्ष को चोट नहीं आई है। खोखा की बरामदगी का स्थान कथित घटनास्थल से काफी भिन्न (50 मीटर दूर) है , जो प्रथम दृष्टया विवेचनात्मक विसंगति

<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा</u>।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 509/2026

मुन्ना कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

बिहार थाना कांड सं0 130/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 3(5) B.N.S & 27 Arms Act

<u>लगातार</u>

02.04.2026

को दर्शाता है। जहां तक आपराधिक इतिहास का प्रश्न है, केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत से इंकार नहीं किया जा सकता यदि वर्तमान मामले के साक्ष्य कमजोर या संदिग्ध प्रतीत होते हो। तथ्यों एवं केश डायरी के अनुशीलन के पश्चात यह आवेदकगण को अग्रिम जमानत का लाभ देना न्यायोचित समझता है, बशर्ते वे अनुसंधान और कानून व्यवस्था में सहयोग करें।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर पूर्ण विचार करते हुए आवेदकगण को आदेश पारित होने के एक माह के अंदर, विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिये जाने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर, बी0एन0एस0एस0, 2023 की धारा 482(2) में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवेदकगण **मुन्ना कुमार एवं डोमन यादव** को 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र निष्पादित करने के उपरांत जमानत पर मुक्त किये जाने का आदेश **<u>निम्न शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है :–</u>**

1. आवेदकगण पुलिस अनुसंधान में पूर्ण रूप से सहयेाग करेंगे और जब भी अनुसंधानकर्ता द्वारा उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो वे उपस्थित होंगे।

2. आवेदक प्रत्येक रविवार को संबंधित थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे, जब कि न्यायालय में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र समर्पित न हो जाए।

3. आवेदक जमानत अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि (Criminal Activity) में संलिप्त नहीं होगे। यदि उनके विरूद्ध इस दौरान कोई अन्य प्राथमिकी दर्ज होती है तो यह जमानत आदेश स्वतः ही निरस्त करने योग्य माना जाएगा।

4. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूचक, उसकी पत्नी या किसी भी गवाह को डराने, धमकाने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं करेगें।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष–न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह–विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ,नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 509/2026

मुन्ना कुमार एवं 01 अन्य बनाम बिहार सरकार

बिहार थाना कांड सं0 130/2026

अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 109(1), 352, 3(5) B.N.S & 27 Arms Act